डा० आर० के० हजारी

4752. श्री विश्वम्भरन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) डा० आर० के० हजारी को, औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने की नीति के बारे में उनके अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से पहले, योजना आयोग में अवैतनिक परामर्शदाता के पद से मुक्त किया जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख) लाइसेंस देने की प्रणाली में अध्ययन करने के लिये प्रोफेसर आर० के० हजारी को 11 जुलाई, 1966 से छ महीने की अवधि के लिये योजना आयोग का अवैतनिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था । उन्होंने 5 दिसम्बर, 1966 को अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उनसे अपना काम जारी रखने तथा अन्तिम प्रतिवेदन पूरा करने का निवेदन किया गया है । प्रोफेसर हजारी इस काम को करने के लिए राजी हो गये हैं । उनका विचार है कि यह आवश्यक नहीं कि इस काम के लिये उनके अवैतनिक परामर्शदाता के पद की औपचारिक रूप से आगे और वृद्धि की जाय । प्रतिवेदन को पूरा करने का काम जारी है ।

स्वैच्छिक सेवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय

4753. श्री राम चरण : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि स्वैच्छिक सेवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय के अनुरोध पर उनके मन्त्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी पिछले वर्ष अमरीका गये थे,

(ख) यदि हां, तो क्या उस अधिकारी ने इस सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) स्वैच्छिक सेवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय ने भारत सरकार से निवेदन किया था कि मई मास, 1966, में सम्पन्न संगठन की प्रबन्धक परिषद् की चतुर्थ बैठक में भाग लेने के लिए वाशिंगटन प्रतिनिधि मण्डल भेजे । उस समय योजना आयोग के जो संयुक्त सचिव स्वैच्छिक सेवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय का काम देख रहे थे, उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने स्वैच्छिक सेवा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय की परिषद् की बैठक की संक्षिप्त कार्रवाई की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और भारत से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर तदनुसार आगे कार्रवाई की गई थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Burning of files of Finance Ministry

4754. Shri Rabi Ray:
Shri Madhu Limaye:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Swell:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Nardeo Sontak:
Shri Arjun Singh Bhadoria:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Ishaq Sambhali:
Shri A. N. Mulla:
Shri Hukam Chand Kachwai: